A
2033

संख्या– 831/35–आ–1/2010

प्रेषक,

डा.जे.एन.चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
लघु सिंचाई,
लखनऊ।

न्य योजना आयोग–1 लखनऊः दिनॉक 13 मई,2010

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल बुन्देलखण्ड क्षेत्र में reconstruction of water distribution network परियोजना की रू. 40.00 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष रू. 40.00 करोड़ (रूपये चालीस करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– विभाग द्वारा भारत सरकार से अनुमोदित परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायेगा और कार्य कराने से पूर्व विस्तृत विवरण एवं कार्य योजना बनाकर सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए परियोजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा और उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि की जनपदवार फॉट तैयार कर तत्काल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों का समावेश करते हुए सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/ विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने और व्यय विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व लघु सिंचाई विभाग का होगा और विभाग द्वारा तदनुसार भारत सरकार तथा नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रस्तुत की जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि आहरित कर पीएलए अथवा बैंक खातों में नहीं रखी जायेगी और धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2011 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2011 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च, 2011 तक प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
विभाग,
10-05-2010

5— यह धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिस मद के लिए स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। परियोजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि की सीमा तक सीमित रखा जायेगा। परियोजना के कार्यान्वयन में विस्तृत विवरण तैयार करने और निविदा आदि लिये जाने के उपरान्त लागत में आने वाली दरों के आधार पर लागत का आंकलन होगा और तदनुसार भौतिक लक्ष्यों को पुनरीक्षित करते हुए कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

6— विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही स्वीकृति प्रस्तावित है अथवा किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषित योजना के अंतर्गत यह कार्य सम्मिलित है।

7— कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय— समय पर जारी तत्सम्बंधी शासनादेश एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथाविधि सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— स्वीकृत धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किये जायेंगे।

9— परियोजना में विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10— परियोजना के कार्यान्वयन में सम्बंधित जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त के साथ भी प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा और इनके द्वारा निरन्तर रूप से परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण कर नियमित रूप से प्रगति से अवगत कराया जायेगा।

11— प्रश्नगत परियोजना में रखे गये लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभाग पूर्णतः उत्तरदायी होगा और परियोजना को पूर्ण करने के उपरान्त रख—रखाव का दायित्व के सम्बंध में विभाग द्वारा समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

12— परियोजना के लिये स्पष्ट रूप से क्षेत्र/लाभार्थी को अभिज्ञानित कर जनमानस के लिये सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा ताकि स्थानीय जनमानस के सहयोग से द्विरावृत्ति को रोका जा सके। साथ ही, विभागीय अधिकारियों के साथ ही थर्ड पार्टी निरीक्षण/सत्यापन भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

2— स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010—11 के बजट के अनुदान संख्या—40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष—2575—अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आयोजनागत—02—पिछड़े क्षेत्र—800—अन्य व्यय—04—बुन्देल खण्ड की विशेष योजनाएं —01—जल वितरण नेटवर्क—42—अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। उक्त लेखाशीर्ष में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या—40 के लेखाशीर्ष—2575—अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आयोजनागत—02—पिछड़े क्षेत्र—800—अन्य व्यय—03—बुन्देल खण्ड की विशेष योजनाएं —

42–अन्य व्यय से आदेश संख्या–यू.ओ–128/35–आ–1/2010 दिनॉक 13 मई,2010 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–5–690(1)/दस–2010 दिनॉक 13 मई,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

13/5/10

(डा.जे.एन.चैम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 831(1)/35–आ–1/2010 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई/ ग्राम्य विकास /कृषि/ सिंचाई विभाग
4– प्रमुख सचिव, वित्त।
5– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6– मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूटधाम।
7– जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8– मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
9– कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
10– गार्ड फाईल।
11– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5
12– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से,

13/5/10

(डा.जे.एन.चैम्बर)
प्रमुख सचिव,नियोजन।

प्रपत्र – बी.एम.–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नाम : 40–नियोजन विभाग

वित्तीय वर्ष : 2010–2011

(धनराशि हजार रुपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनाँक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनाँक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2 – 5)
1	2	3	4	5	6
257502800030042	1200000	1200000	400000	400000	800000
योग –	1200000	1200000	400000	400000	800000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
257502800040142	0	400000	400000	400000	400000
योग –	0	400000	400000	400000	400000

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या : आर.ई.010/ई–5–690/दस–2010, दिनाँक : 13 मई, 2010

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव,

(निहालुद्दीन खां)
अनु सचिव,

संख्या : U.O-128 /35-आ-1/2010, दिनाँक : 13 मई, 2010.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3–मुख्य कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/बांदा/महोबा/चित्रकूट/हमीरपुर ।
4– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव,
नियोजन विभाग